भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4462

जिसका उत्तर 27 मार्च, 2025 को दिया जाना है।

.....

असम में बाढ़ नियंत्रण संबंधी अवसंरचना

4462. मोहम्मद रकीबुल हुसैनः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा असम के धुबरी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में मानसून के मौसम के दौरान प्रत्येक वर्ष बार-बार आने वाली बाढ़ की समस्या का समाधान करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं

(ख) सरकार द्वारा इस क्षेत्र में बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए बाढ़ नियंत्रण संबंधी अवसंरचना जैसे तटबंधों, जल निकासी प्रणालियों और बाढ़ पूर्वानुमान को बढ़ाने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं/कार्यान्वित की जा रही हैं, और

(ग) सरकार द्वारा धुबरी के प्रभावित लोगों को विशेषकर प्रत्येक बार बाढ़ आने के बाद आश्रय, भोजन, चिकित्सा सहायता और पुनर्निर्माण प्रयासों के संबंध में समय पर और पर्याप्त राहत एवं पुनर्वास प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): बाढ़ प्रबंधन और अपरदन-रोधी योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार निगमित एवं क्रियान्वित की जाती हैं। केंद्र सरकार तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करके और गंभीर क्षेत्रों में बाढ़ के प्रबंधन के लिए प्रोत्साहनात्मक वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है।

बाढ़ प्रबंधन के संरचनात्मक उपायों को मजबूत करने के लिए, मंत्रालय ने नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, अपरदन-रोधी, जल निकासी विकास, समुद्र कटाव-रोधी आदि से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए ग्यारहवीं और बारहवीं योजना के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) लागू किया था, जो बाद में 2017-18 से 2020-21 तक की अवधि के लिए "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" (एफएमबीएपी) के एक घटक के रूप में जारी रहा और इसे मार्च 2026 तक आगे बढ़ा दिया गया। एफएमबीएपी योजना के तहत धुबरी सहित विभिन्न जिलों को लाभान्वित करने वाली बाढ़/कटाव प्रबंधन परियोजनाओं के लिए ग्यारहवीं योजना के बाद से असम राज्य को जारी केंद्रीय सहायता 1557.04 करोड़ रुपये है।

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के वित्त पोषण के तहत 542.498 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली “असम-गोलपारा धुबरी उप परियोजना (जोन डी) में जलवायु-प्रत्यास्थ ब्रह्मपुत्र एकीकृत बाढ़ और नदी तट कटाव जोखिम प्रबंधन परियोजना” को दिसंबर 2023 माह में आयोजित जल संसाधन,

नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं संबंधी सलाहकार समिति की 154वीं बैठक में स्वीकृत किया गया है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने धुबरी में बाढ़ नियंत्रण को बढ़ाने के लिए 2 (दो) अपरदन-रोधी परियोजना भी क्रियान्वित की है, नामतः i) 20.25 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ और कटाव से मनकाचर, कलैर-अल्गा अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र की सुरक्षा, जिसका उद्देश्य नदी के अपरदनकारी बलों से बाड़बंदी, सड़कों और शिशुमारा सीमा चौकी (बीओपी) सहित महत्वपूर्ण सीमावर्ती बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करना है; और ii) असम के धुबरी जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास मसालाबाड़ी क्षेत्र में 5.79 करोड़ रुपये की लागत से अपरदन-रोधी उपाय किए गए, जिसका प्राथमिक उद्देश्य ब्रह्मपुत्र नदी के अपरदनकारी बलों से भारत-बांग्लादेश सीमा (आईबीबी) बाड़ को सुरक्षित रखना है।

सीडब्ल्यूसी, बाढ़ प्रबंधन के गैर-संरचनात्मक उपाय के रूप में संबंधित राज्य सरकारों को चिन्हित स्थानों पर बाढ़ पूर्वानुमान जारी करता है। असम में 30 स्तरीय पूर्वानुमान केंद्र हैं जिनमें धुबरी भी शामिल है।

(ग): राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, असम सरकार ने प्रभावित लोगों के लिए समय पर राहत और पुनर्वास के साथ-साथ पुनर्निर्माण प्रयासों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान धुबरी जिले को विभिन्न क्षेत्रों/शीर्षों के अंतर्गत निम्नलिखित धनराशि जारी की है:

सेक्टर/हेड	**वित्त वर्ष 2024-25 में जारी धनराशि**
अनुदानित राहत (जीआर)	1667.76809 लाख ₹
क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों की मरम्मत और जीर्णोद्धार (पीडब्ल्यूडी)	280.99577 लाख ₹
क्षतिग्रस्त बाढ़ नियंत्रण कार्यों की मरम्मत और जीर्णोद्धार (डब्ल्यूआरडी)	486.37127 लाख ₹
विद्युत विभाग	15.16500 लाख ₹

इसके अलावा, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 में एसडीआरएफ मानदंडों के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों/विभागों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से धुबरी के प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता वितरित की है:

क्र. सं.	**विभाग/क्षेत्र**	**धुबरी जिला**	
		लाभार्थियों की संख्या	**राशि (लाख रूपये में)**
1	कृषि	15860	363.85065

2	मत्स्य पालन	246	4.977
3	रेशम कीट पालन	157	7.85
4	गृह क्षति (बाढ़)	1177	181.69
5	गृह क्षति (तूफान)	34	24.96
6	कपड़े और बर्तन	964	48.2
कुल		**18438**	**631.52765**

*****